(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2801–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 190/2015–16/अपील.

1. वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री निवास
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 अशोक कुमार
   निवासीगण ग्राम रमा, तहसील अटेर,
   जिला भिण्ड म0प्र0

——•—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामदत्त
2. हरविलाश पुत्रगण सुन्दरलाल
3. रामशरण पुत्रगण मनीराम
   निवासीगण ग्राम रमा तहसील अटेर
   जिला भिण्ड म0प्र0

———— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/06/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के पारित आदेश दिनांक 28–7–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण रामदत्त शर्मा आदि ने तहसील न्यायालय में एक आवेदन आराजी ग्राम रमा का मुताबिक प्र0क0 15/2012–13/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 14–8–15 के अनुसार बटांकन किये जाने बावत प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक

01/2015–16/अ–3 पंजीबद्ध कर प्रकरण में दिनांक 9–10–2015 को आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 03/2015–16/अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 03–3–2016 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 09–10–2015 निरस्त कर पुनः नायब तहसीलदार सुरपुरा की ओर सुनवाई एवं परीक्षण कर आदेश पारित करने के लिए भेजा। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चम्बल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें आदेश दिनांक 28–7–2016 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि विचारण न्यायालय में आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेश उचित नहीं है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष उठाये गये आधारों का गुण–दोषों पर निराकरण न करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि भू–राजस्व संहिता की संशोधित धारा 49 के अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है, अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये पुनः कार्यवाही हेतु तहसील को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय ने नागांतरण आदेश पारित किया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा है। यह भी तर्क किया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें

हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार उचित है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की संशोधित धारा 49 के अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है, अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये पुनः कार्यवाही हेतु तहसील को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त प्रकरण कमांक निग0 2800–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 01–06–2017 के द्वारा मूल बटवारा आदेश दिनांक 14–8–2015 ही निरस्त हो चुका है इसलिए अब उसके तारतम्य में की गई बटांकन की कार्यवाही भी स्वतः निरस्ती योग्य है। इस कारण भी अब तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार उपतहसील सुरपुरा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार के समक्ष बटवारा कार्यवाही के पश्चात ही उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमियों के बटांकन की कार्यवाही संपादित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर